संख्या- 4/2026/49-3099/14/2023-I/1222883/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/438993/कृषि - निवेश/बी-309, दिनांक 29.01.2026 तथा पत्र संख्या I/ 438990/कृषि - निवेश/बी-309, दिनांक 29.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन ''लेखाशीर्ष 2425-सहकारिता-800अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना -27 सब्सिडी योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 17000.00 लाख के सापेक्ष पीसीएफ द्वारा परिवहन मद में माह जुलाई तथा माह अगस्त, 2025 तक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु क्रमश: धनराशि रूपये 8,41,46,605.00 (रूपये आठ इकतालिस लाख छियालिस हजार छ: सौ पांच मात्र) तथा धनराशि रूपये 11,28,91,938.00 (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठाइस लाख इक्यानबे हजार नौ सौ अड़तीस मात्र) अर्थात् कुल धनराशि **रूपये 19,70,38,543.00 (रूपये उन्नीस करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार पांच सौ तिरालिस मात्र)** की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष-2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण-27 सब्सिडी की मद में प्राविधानित बजट धनराशि रूपये 170.00 करोड़ के सापेक्ष पीसीएफ द्वारा परिवहन मद में माह जुलाई तथा माह अगस्त, 2025 तक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु क्रमश: धनराशि रूपये 8,41,46,605.00 (रूपये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आठ इकतालिस लाख छियालिस हजार छः सौ पांच मात्र) तथा धनराशि रूपये 11,28,91,938.00 (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठाइस लाख इक्यानबे हजार नौ सौ अड़तीस मात्र) अर्थात् कुल धनराशि **रूपये 19,70,38,543.00 (रूपये उन्नीस करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार पांच सौ तिरालिस मात्र)** की प्रतिपूर्ति निम्न विवरणानुसार अधोलिखित नियमों व शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	उर्वरक व्यवसाय करने वाली संस्था/ समिति का नाम	माह का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	ब्याज मद	भण्डारण शुल्क	परिवहन मद		योग
						सामान्य योजना	प्रीपोजीशनिंग योजना	
1	पीसीएफ	जुलाई, 2025	6337/20.01.2026	--	--	649.46	192.00	841.46
		योग		**--**	**--**	**649.46**	**192.00**	**841.46**
	सहकारी संस्थाओ का योग			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	सकल योग			**--**	**--**	**649.46**	**192.00**	**841.46**

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	उर्वरक व्यवसाय करने वाली संस्था/ समिति का नाम	माह का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	ब्याज मद	भण्डारण शुल्क	परिवहन मद		योग
						सामान्य योजना	प्रीपोजीशनिंग योजना	
1	पीसीएफ	अगस्त, 2025	6396/22.01.2026	--	--	853.29	275.62	1128.91
		योग		**--**	**--**	**853.29**	**275.62**	**1128.91**
	सहकारी संस्थाओ का योग			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	सकल योग			**--**	**--**	**853.29**	**275.62**	**1128.91**

नियम/शर्तें/ प्रतिबन्ध

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण तथा धनराशि के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो और बिलों के भुगतान में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति न हो।

(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के बिलों के भुगतान में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।
(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्राविधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।
(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(10) शासनादेश संख्या- I/960002/2025, दिनांक 15.05.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रूपये 19,70,38,543.00 (रूपये उन्नीस करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार पांच सौ तिरालिस मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 18 लेखाशीर्ष 2425008000500 रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
4 - यह आदेश वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ ।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-
निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।